संख्या-145/2025/I/1110162/2025/71-1002/48/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 08 अक्टूबर, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि के अंतर्गत ओ0पी0डी0 ब्लाक के नव निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/242, दिनांक 30.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि के अंतर्गत ओ0पी0डी0 ब्लाक के नव निर्माण कार्य हेतु महानिदेशक के निर्वतन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि के सापेक्ष आवश्यक लिमिट निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-133/2024/I/747706/2024/71-1002/48/2023, दिनांक 19.09.2024 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि के अंतर्गत ओ0पी0डी0 ब्लाक के नव निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 3901.19 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 1365.4165 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। इस प्रकार परियोजना हेतु रू0 2535.7735 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

3- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि हेतु रू0 120.00 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गयी है। उक्त योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश राज्यांश) है। शासनादेश संख्या-57/2023/1/296217/2023/71-1002/15/2022, दिनांक 30.03.2023 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रू0 33.12 करोड़, शासनादेश संख्या-110/2023/1/363840/2023/71-1002/15/2022, 07.08.2023 द्वारा रू0 14.88 करोड़ तथा शासनादेश संख्या-138/2023/1/4095772023/71-1002/15/2022, दिनांक 17.10.2023 द्वारा रू0 28.80 करोड़, इस प्रकार कुल रू0 76.80 करोड़ (केन्द्रांश रू0 28.80 करोड़ व राज्यांश रू0 48.00 करोड़) की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक के निर्वतन पर एस0एन0ए0 खाते में हस्तांरित की गयी है। वर्तमान में महानिदेशक के निर्वतन पर एस0एन0ए0 खाते में रू0 10.9461 करोड़ (राज्यांश) की धनराशि अवशेष है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 100 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि के अंतर्गत ओ0पी0डी0 ब्लाक के नव निर्माण कार्य** हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 3901.19 लाख के सापेक्ष परियोजना की **द्वितीय किश्त** के रूप में **रू0 1094.61 लाख (रू0 दस करोड़ चौरानवे लाख इकसठ हजार मात्र) (राज्यांश)** की धनराशि, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि में से हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-133/2024/।/747706/2024/71-1002/48/2023, दिनांक 19.09.2024 में उल्लिखित शर्ते यथावत् रहेगी।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in